महालेखाकार (ले0 एवं ह0) का
कार्यालय
बीरचंद पटेल पथ,
पटना, बिहार – 800001

OFFICE OF THE ACCOUNTANT
GENERAL (A&E),
BIRCHAND PATEL PATH PATNA,
BIHAR - 800001

का0आ0सं0-WM-I-(2024-25)-154

दिनांक:- 06 /02/2025

कार्यालय आदेश

कार्यालय के संज्ञान में आया है कि TDS की कटौती एवं उसके भुगतान में प्रमंडल द्वारा विलंब किया जा रहा है, जिस कारण आयकर विभाग द्वारा penalty impose की जा रही है।

अतः, सभी प्रमंडलीय लेखाकार/प्रमंडलीय लेखा अधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि इस संबंध में वित्त विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक:- संचिका संख्या-को0प्र0/विविध-08/2013/1893, दिनांक:- 13/03/2018 में दिये गए आदेश का पालन किया जाए। सुलभ प्रसंग हेतु उक्त पत्र की प्रति संलग्न की जा रही है, इसे अत्यावश्यक समझा जाए।

उपमहालेखाकार (कार्य)
बिहार, पटना

Phone:- 0612-2225634 Fax:- 0612-2221056 Email:- agaebihar@cag.gov.in

संचिका संख्या-को०प्र०/विविध-08/2013.....1898...../वि०

बिहार सरकार

<u>वित्त विभाग</u>

प्रेषक,

अश्विनी दत्तात्रेय ठकरे,
अपर सचिव ।

सेवा में,

<u>सभी प्रधान सचिव/सचिव,</u>
<u>सभी विभागाध्यक्ष,</u>
<u>सभी जिला पदाधिकारी,</u>
<u>सभी कोषागार पदाधिकारी,</u>
सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक-...13/3/18...

विषयः- **आयकर आयुक्त (TDS) पटना से प्राप्त पत्र के आलोक में बिहार सरकार के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को निर्देश जारी किये जाने के संबंध में ।**

प्रसंग : आयकर आयुक्त (TDS) पटना का पत्रांक CIT (TDS)/Pat/CAP/2017-18/4633 दिनांक 09.03.2018 ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र की प्रति संलग्न करते हुए कहना है कि राज्य के सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा किये जाने वाले भुगतान से TDS/TCS की कटौती खातावही सामंजन द्वारा किया जाता है । आयकर अधिनियम 1961 के नियम 200 सह-पठित आयकर अधिनियम 1962 के नियम 30 में प्रावधानित किया गया है कि TDS/TCS से संबंधित आयकर मद में कटौती की गयी राशि का बुक ऐडजस्टमेंट उसी दिन आयकर विभाग के खाते मे करा देना है । आयकर आयुक्त पटना के प्रासंगिक पत्र में उल्लेखित किया गया है कि उक्त प्रावधान का अनुपालन निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों एवं विभिन्न कार्यालयों द्वारा नहीं किया जा रहा है ।

अतः अनुरोध है कि प्रासंगिक पत्र (छायाप्रति संलग्न) के आलोक में TDS/TCS की राशि जमा कराने एवं आयकर विवरणी दाखिल करने की कार्रवाई आयकर अधिनियम में निहित उपर्युक्त प्रावधान के आलोक निर्धारित समय से करायी जाय । किसी भी चूक के कारण यदि ब्याज या शास्ति अधिरोपित किया जाता है तो इस हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उतरदायी होंगे ।
अनुलग्नक-यथोक्त ।

विश्वासभाजन

(अश्विनी दत्तात्रेय ठकरे)
अपर सचिव